न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 783/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00807)

1. प्रभाती लाल पुत्र राम सहाय यादव जाति अीर निवासी प्लाट नम्बर 312, जे डी.ए. कॉलोनी, डेयरी स्कीम वाटिका, जिला जयपुर ।
2. रामनारायण पुत्र रामसहाय जाति अहीर निवासी ग्राम जगदीशपुरा पोस्ट सांभरिया, ढाणी होलावाली तहसील बस्सी जिला जयपुर ।

अपीलांट्स

बनाम

1. रामकरण पुत्र स्व. जगदीश
2. रामलाल पुत्र स्व. जगदीश
3. कमलेश पुत्र स्व. जगदीश
4. रूकमा पत्नी स्व. जगदीश
5. राधाकिशन पुत्र स्व. भौरिया
6. श्योजी पुत्र स्व. श्री रामप्रसाद
7. रामवतार पुत्र स्व. श्री रामप्रसाद

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम जगदीशपुरा पोस्ट सांभरिया, ढाणी होलावाली तहसील बस्सी जिला जयपुर ।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर ।

– मुख्य रेस्पोडेन्ट

9. कल्याण पुत्र मोती
10. मूलचन्द पुत्र मोती (मृतक दौराने अपील)

10/1. प्रभू देवी पत्नी मूलचन्द जाति अहीर ग्राम जगदीशपुरा पोस्ट सांभरिया ढाणी होलावाली तहसील बस्सी जिला जयपुर

10/2. महेश पुत्र मूलचन्द जाति अहीर ग्राम जगदीशपुरा पोस्ट सांभरिया, ढाणी होलावाली तहसील बस्सी जिला जयपुर

10/3 बजरंग पुत्र मूलचन्द (मृतक)

10/3/1. जितेन्द्र पुत्र बजरंग ग्राम जगदीशपुरा पोस्ट सांभरिया दाणी होलावाली तहसील बस्सी जिला जयपुर

10/3/2 आरती देवी पुत्री बजरंग (पौत्री मूलचन्द) पत्नी भगवान यादव जाति अहीर निवासी ग्राम झलाई गोपालपुरा तहसील निवाई जिला टोंक

10/3/3. राशि पुत्री बजरंग (पौत्री मूलचन्द) पत्नी कमलेश जाति अहीर निवासी ग्राम थलोज तहसील लालसोट जिला दौसा ।

10/4 मंगली देवी पुत्र मुलचन्द पत्नी सीताराम जाति अहीर निवासी ग्राम तामडीया तहसीज चाकसू जिला जयपुर ।

10/5 रामा देवी पुत्री मूलचन्दपत्नी पप्पू लाल जाति अहीर निवासी ग्राम झलाई गोपालपुरा तहसील निवाई जिला टोंक

11. रामकिशोर पुत्र मोती
12. जयनारायण पुत्र रामसहाय
13. मोहन पुत्र रामसहाय

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम जगदीशपुरा पोस्ट सांभरिया, ढाणी होलावाली तहसील बस्सी जिला जयपुर ।

–तरतीब रेस्पोडेन्ट्स

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्व भू–अधिनियम 1956 आदेश विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी प्रकरण संख्या 23/2019 निर्णय दिनांक 01–07–2019 बउनवानी रामकरण व अन्य बनाम राजस्थानर सरकार व अन्य।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपस्थित–

1. श्री एन.के.यादव वकील अपीलान्ट
2. श्री नरेश कुमार जैन रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 6 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक–27.02.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 11.07.2019 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जगदीशपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 98, 103, 103/1, 106, 106/1 लगायत 106/8 के संबंध में रेस्पोडेण्ट्स ने अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के यहां प्रार्थना पत्र पेश कर सीमाज्ञान दिनांक 05.07.2018 के मुताबिक पत्थरगढी करवाये जाने हेतु निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार बस्सी को वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिनांक 11.07.2019 को दिया।

3. उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 11.07.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्री प्रभाती लाल पुत्र राम सहाय यादव द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर दिनांक 11.07.2019 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टान द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 05–07–2018 प्रस्तुत की गई उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट नया आराजी ख.न. 98 व 106 के बाबत सीमाज्ञान रिपोर्ट का हवाला दिया गया है । उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट के अवलोकन से बखुबी सावित है कि उक्त रिपोर्ट तहसील कार्यालय में बैठकर तकमील की गई है। मौके पर अपीलार्थीगण को न तो सीमाज्ञान बाबत कोई नोटिस प्रदत्त किया गया तथा ना ही उक्त रिपोर्ट में किसी भी एक भी पडोसी खातेदार काश्तकार के हस्ताक्षर/अगूंठा निशानी ही मौजूद नही है। तथा ना ही अपीलार्थीगण की मौजूदगी ही उक्त रिपोर्ट से साबित है। अधिनस्थ न्यायालय ने तमाम कानूनी बिन्दूओ की अन्देखी करते हुये अवैध अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तों की ताहीद में कतई ही न्यायिक अवलोकन नही किया कि किसी खातेदार द्वारा उसके खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाता है तो प्रत्येक पडोसी खातेदार काश्तकार को सीमाज्ञान हेतू सूचना प्रदत्त किये जाने का मैण्डेटरी कानूनी प्रावधान है। परन्तु इस सम्बंध पर पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है जिसके आधार पर यह साबित होता हो कि सभी पडोसी खातेदार काश्तकारो को सम्यक कानूनी नोटिस दिया गया हो। अथवा सभी पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान रिपोर्ट तस्दीक की गई हो और ना ही ऐसी कोई रिपोर्ट फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट से ही साबित है। जिसके आधार पर यह माने जाने का उचित कारण हो कि सभी पडोसी खातेदार सीमाज्ञान के समय मौजूद होने की पुष्टि होती हो। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि सीमाज्ञान रिपोर्ट पूर्णत एक पक्षीय, मनमानी एंव रेस्पोडेन्टान को बेजा लाभ पहुचाने की गरज से की गई थी और ऐसी अवैध सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर जो अवैध अपीलाधीन आदेश पारित किया है। वह

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पूर्णतः कानूनी प्रक्रिया के तथा धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम एंव उन पर प्रतिपादित सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्टान ने किसी भी पडोसी खातेदार काश्तकार को फरीकेन पक्षकार मुकदमा सयोजित नही किया खसरा नम्बर 98 के चारो तरफ खसरा नम्बर 96, 97, 99, 101, 101/9, 96/3, 125, 126, 124, 126/1 की सीमाऐ स्पर्श करती है। तथा खसरा नम्बर 103 के भी चारो तरफ 102, 103/1, 101/3, 105/1, 105/3 105/5, 105/6, 105/9, 105/10 आदी की सीमाए स्पर्श करती है तथा खरारा नम्बर 103/1 के चारो तरफ खसरा नम्बर 103, 102, 102/1, 105/10, 124 की सीमाए स्पर्श करती है तथा अपीलाधीन आदेश में वर्णित खसरा नम्बर 106, 106/1, 106/2, 106/3, 106/4, 106/5, 106/6, 106/7, 106/8 के चारो तरफ के किसी भी पडोसी खातेदार को न तो सीमाज्ञान रिपोर्ट तस्दीक करते समय साक्ष्य समर्थन एंव सुनवाई का अवसर प्रदत्त किया गया तथा ना ही उनको पत्थरगढी प्रार्थना पत्र में पक्षकार मुकदमा बनाया गया। जबकि विधि की यह सुस्पष्ट मंशा है कि सीमाज्ञान अथवा पत्थरगढी की जाने वाले प्रत्येक खसरा नम्बरान के पडोसी खातेदार काश्तकार को पूर्णत साक्ष्य समर्थन एंव सुनवाई प्रदत्त किये जाने का कानूनी मैण्डेटरी प्रावधान है अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसी कोई मौखिक एंव दस्तावजी साक्ष्य उपलब्ध नही है जिसके आधार पर उक्त कानूनी प्रक्रिया का पालना किये जाने के साक्ष्यों की पुष्टि होती हो अधिनस्थ न्यायालय ने पूर्णत विधि द्वारा स्थापित कानूनी प्रावधानों की अनदेखी की है। प्रार्थी के आवेदन पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये बिना अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया को ताक में रखकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित किये गयें जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधि सम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बस्सी दिनांक 11.07.2019 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम जगदीशपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 98, 103, 103/1, 106, 106/1 लगायत 106/8 भूमि के प्राथीगण एकमात्र काश्तकार खातेदार है एवं काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है जिसका अपीलांट की खातेदारी की भूमि से कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थीगण ने विधिवत् खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार के यहॉ आवेदन किया जिस पर तहसीलदार एवं पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 05.07.2018 को सीमाज्ञान किया गया। उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आराजी पर काश्तकारो के मध्य आये दिन सीमाओ को लेकर वाद विवाद होता है उक्त भूमियों की सुरक्षार्थ, पुख्ता सींव एवं तारबंदी करने हेतु प्रार्थी द्वारा विधिवत उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था फिर भी अपीलांट ने बेदखल करने की नियत से सींव को खुर्दबुर्द कर रहे हैं जबकि प्रार्थी ने नियमानुसार ही अपनी खातेदारी भूमि की विधिक अधिकारों के तहत् पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार ही पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर उचित एवं विधि सम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त भूमि रेस्पोडेण्ट के खातेदारी की भूमि है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बस्सी उचित एवं विधि सम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने

संभागीय आयुक्त
जयपुर

में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अप्रार्थी रामकरण पुत्र स्व. जगदीश द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि वाके ग्राम जगदीशपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 98, 103, 103/1, 106, 106/1 लगायत 106/8 भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु आवेदन किए जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.07.2019 के द्वारा विवादित आराजी के पत्थरगढी करने के आदेश दिए गए। अपीलांट का कथन है कि उक्त विवादित भूमि के समीपस्थ खातेदार–काश्तकारहैं एवं आने–जाने का आम रास्ता है जिसका अपीलांट्स उपयोग–उपभोग कर रहे हैं एवं उन्हें बिना सुनवाई एवं पक्षकार बनाये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि चूंकि उक्त भूमि के अपीलांट भी समीपस्थ खातेदार हैं। अतः हम समझते हैं कि अपीलांट की विधिवत तामिल कराकर, सबूत व साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी का निर्णय दिनांक 11.07.2019 निरस्त किया जाता है। तथा अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनकर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।